

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 22-2-2012

-:आज्ञा:-

विषय:- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक + मोबाइल + इन्टरनेट + ब्राडबैंड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/इन्टरनेट/ब्राडबैंड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 5.8.11 में नवीन शर्त संख्या "16" निम्न प्रकार सम्मिलित की जाती है :-

"16 अतिरिक्त मुख्य सचिवगण को राज्य सरकार द्वारा आईपेड की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की तिथि से आईपेड में इन्टरनेट कनेक्टिविटी (Internet Connectivity) हेतु एक अतिरिक्त सिम का उपयोग निर्धारित मासिक व्यय सीमा के अन्तर्गत किया जा सकेगा।"


यह आज्ञा वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101200548 दिनांक 16.8.12 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डा० अरु. पी. जैन)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
2. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 101200548 दिनांक 16.8.12 के सन्दर्भ में।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव